प्रकरण संख्या 108/15 2015/00063 तारीख रजु–17.12.2015

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री नन्नूमल पहाडिया, आई.ए.एस.

सरकार जरिये अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, भरतपुर – प्रार्थी

बनाम

प्यारे पुत्र रामसहाय जाति बैरवा निवासी कमालपुरा, तहसील व थाना टोड़ाभीम, जिला करौली – जमानती

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 446 सी.आर.पी.सी.

निर्णय दिनांक–25.06.2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह भरतपुर ने पत्र क्रमांक 5909–11 दिनांक 04.09.2015 प्रेषित कर निवेदन किया है कि श्री गजानंद उर्फ गज्जा पुत्र कल्याण जाति जोगी निवासी आकोदिया पुलिस थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर को श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गंगापुर सिटी द्वारा प्रकरण संख्या 46/08, एफआईआर 162/08 पुलिस थाना बामनवास अंतर्गत धारा 302,404,201 भा.द.सं. में दिनांक 01.08.2012 को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये जाने पर वर्तमान में इस कार्यालय में सजा भुगत रहा था। उक्त बंदी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में दायर डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1466/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.04.15 द्वारा 25000/– रुपये की तस्दीकशुदा एक जमानत व 25000/– रुपये का निजी मुचलका अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह भरतपुर के समक्ष पेश करने की शर्त पर स्वीकृति की गई। उक्त निर्णय की पालना में बंदी की ओर से श्री प्यारे पुत्र श्री रामसहाय जाति बैरवा निवासी कमालपुरा तहसील व थाना टोड़ाभीम जिला करौली द्वारा 25000/– रुपये की जमानत प्रस्तुत करने पर बंदी को दिनांक 11.08.15 से दिनांक 30.08.15 तक 20 दिवस पैरोल पर रिहा किया गया था, जो बाद पैरोल दिनांक 30.08.15 को जेल दाखिल न होकर पैरोल से फरार हो गया। अंत में गजानंद उर्फ गज्जा पुत्र कल्याण जाति जोगी करे 20 दिवस सामान्य पैरोल पर रिहा करने हेतु पच्चीस हजार रुपये की जमानत प्रस्तुत करने वाले श्री प्यारे पुत्र श्री रामसहाय जाति बैरवा द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज पत्र के आधार पर जमानत राशि जब्त करने की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह भरतपुर के उक्त पत्रांक पर जमानती श्री प्यारे पुत्र रामसहाय जाति बैरवा निवासी कमालपुरा थाना व तहसील टोड़ाभीम के द्वारा प्रस्तुत तस्दीक जमानत दिनांक 11.08.2015 जब्त करने हेतु धारा 446 सी.आर.पी.सी. के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जमानती को जरिये नोटिस तलब किया गया।

जिला कलक्टर
करौली

Scanned by CamScanner

जमानती इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आया और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। अतः जमानती के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जमानती की चल अचल सम्पत्ति की सूचना तहसीलदार टोड़ाभीम से प्राप्त की गई। तहसीलदार टोड़ाभीम ने पत्रांक टीआरए/19/1887 दिनांक 17.06.19 से अवगत कराया है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम कमालपुरा के जमाबंदी संवत् 2071–74 में खाता संख्या 147 में खसरा नंबर 920 किता 5 रकबा 3.48 में हिस्सा 1/2 से कुल रकबा 1.74 हैक्टे. दर्ज रिकॉर्ड है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमानती द्वारा जमानत राशि जमा राजकोष नहीं कराई गई है।

अतः प्यारे पुत्र रामसहाय जाति बैरवा निवासी कमालपुरा की मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम कमालपुरा के जमाबंदी संवत् 2071–74 में खाता संख्या 147 में खसरा नंबर 920 किता 5 रकबा 3.48 में हिस्सा 1/2 से कुल रकबा 1.74 हैक्टे. में से जमानत राशि 25000/– रुपये की मूल्य सीमा तक भूमि को कुर्क व विक्रय करने के आदेश उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम, जिला करौली को दिये जाते हैं। जमानती की सम्पत्ति से वसूली योग्य राशि की सीमा से अधिक वसूली राशि प्राप्त होने पर संबंधित जमानती को लौटा दी जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, पुलिस अधीक्षक करौली, उपखण्ड अधिकारी टोड़ाभीम, अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह भरतपुर, उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करौली को भिजवाई जावे। न्याय अनुभाग, कलेक्ट्रेट, करौली की पत्रावली मय प्रमाणित निर्णय प्रति वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर,
करौली

Scanned by CamScanner